प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक 07.04.2017 को आयोजित नगर निगम/नगर परिषद के नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारियों के साथ सम्पन्न विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक की कार्यवाही ।

उपस्थिति :– पंजी के अनुसार ।

1. **स्वच्छ भारत मिशन (SBM)** :–

इस योजना के अन्तर्गत व्यक्तिगत शौचालय निर्माण हेतु नगर निकायों द्वारा पूर्व में जो संख्या बतायी गयी थी, अब उससे काफी कम बतायी जा रही है । इसका कारण यह बताया गया कि कई लोग सर्वे के समय गलत सूचना दिये थे कि उनके घर शौचालय नहीं है । निदेश दिया गया कि शीघ्र online database में सुधार कर लिया जाए तथा सुधार की वार्ड–वार सूचना विभाग को दें ।

कुछ नगर निकायों द्वारा बताया गया कि जो लोग रेलवे लाईन के दोनों ओर खाली भूमि/रेलवे की जमीन पर बसे हुए हैं, वहाँ पर समस्या हो रही है । यह जानकारी दी गयी कि चूँकि रेलवे और भारत सरकार के बीच इस सम्बन्ध में MoU sign किया गया है, इसलिए उनके लिए prefabricated इत्यादि सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया जा सकता है । इस सम्बन्ध में सम्बन्धित डिवीजन के DRM से सम्पर्क कर समस्या का समाधान करने का निदेश दिया गया ।

प्रधान सचिव द्वारा बैठक में सभी नगर निकायों को यह जानकारी दी गयी कि चूँकि इस योजना की समीक्षा माननीय प्रधान मंत्री एवं माननीय मुख्य मंत्री द्वारा की जाती है, इसलिए सभी नगर निकाय इस योजना के कार्यान्वयन में तेजी लाएँ तथा यह सुनिश्चित करें कि दिनांक 02.10.2017 तक उनका निकाय खुले में शौच से मुक्त घोषित हो जाय ।

प्रधान सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि दिनांक 15.04.2017 को सभी नगर निकायों में मेगा कैम्प का आयोजन किया जाए जिसमें HFA, SBM, DAY-NULM के तहत पूर्व से प्राप्त आवेदनों को स्वीकृत कर प्रथम किस्त/द्वितीय किस्त की राशि का भुगतान नियमतः किया जाए ।

SWM के अन्तर्गत Compost Plant लगाने के लिए नगर निकायों को मॉडल RFP उपलब्ध कराया गया था । इसके लिए मात्र बिहारशरीफ और बाढ़ द्वारा निविदा निकाली गयी है । निदेश दिया गया कि इस सम्बन्ध में अन्य सभी नगर निकाय शीघ्र कार्रवाई करें । इस RFP में वे ठोस कचड़ा प्रबन्धन के अन्य अवयव जोड़ सकते हैं ।

(अनुपालन–नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी)

2. **AMRUT योजना** :–

पिछले मासिक समीक्षा के दौरान अवगत कराया गया था कि डेहरी–डालमियानगर नगर परिषद को पार्क विकास हेतु जमीन उपलब्ध नहीं होने के कारण योजना स्वीकृत नहीं हो सकता है ।

इसी प्रकार जमालपुर नगर परिषद को भी रेलवे के अधिकारियों से विमर्श कर भूमि उपलब्ध कराने के विन्दु पर दिनांक 15.04.2017 तक सूचना भेजने का निदेश दिया गया, अन्यथा इनका नाम भी AMRUT योजना के तहत पार्क विकास की योजना से हटा दिया जायेगा ।

(अनुपालन–संबंधित कार्यपालक पदाधिकारी)

3. **DAY-NULM** :–

इस योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण केन्द्रों की सूची बिहार कौशल विकास मिशन (BSDM) द्वारा तय की गयी है, जहाँ प्रशिक्षण दिया जाना है । इन्हीं प्रशिक्षण केन्द्रों पर इस योजना के लाभार्थियों को प्रशिक्षण दिलाया जायेगा ।

औरंगाबाद, बगहा, भभुआ, भागलपुर, बिहारशरीफ, छपरा, जहानाबाद, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, पूर्णियॉ, सहरसा, सासाराम, शेखपुरा और बाढ़ से DAY-NULM योजना का मार्च, 2017 का मासिक प्रगति प्रतिवेदन (MPR) प्राप्त नहीं हुआ है । इसे शीघ्र On line भेजने का निदेश दिया गया ।

औरंगाबाद, बगहा, दरभंगा, डिहरी–डालमियानगर, जमालपुर, खगड़िया एवं मुंगेर से अहस्ताक्षरित वार्षिक कार्य योजना प्राप्त हुई है । इसे हस्ताक्षरित करने का निदेश दिया गया । इसी प्रकार बेतिया, भभुआ, भागलपुर, बिहारशरीफ, छपरा, दरभंगा, गोपालगंज, कटिहार, खगड़िया, लखीसराय, मधुबनी, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णियॉ, सहरसा, समस्तीपुर, सासाराम, शेखपुरा, रीतामढ़ी, सिवान, सुपौल एवं बाढ़ से वार्षिक कार्य योजना अप्राप्त है । इसे तीन दिनों में तैयार कर भेजा जाए ।

गोपालगंज, मधेपुरा, किशनगंज, मोतिहारी एवं सिवान से CLC का प्रस्ताव अप्राप्त है, जिसे शीघ्र उपलब्ध कराया जाए ।

जिन नगर निकायों को प्रथम किस्त के रूप में रु0 03.00 लाख की राशि उपलब्ध करा दी गयी है, वे उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र शीघ्र भेज दें ताकि उन्हें द्वितीय किस्त की राशि रु0 07.00 लाख उपलब्ध कराया जा सके ।

वर्ष 2016–17 में नगर निकायों को Revolving Fund की जो राशि उपलब्ध करायी गयी है, अभी तक उसका भी उपयोग नहीं किया गया है । जिन निकायों की उपलब्धि 50 प्रतिशत से कम है, वे शीघ्र SHGs को राशि उपलब्ध कराकर प्रतिवेदन भेज दें ।

अरवल एवं हाजीपुर को SUH के परिचालन एवं प्रबन्धन हेतु इसे ALO को hand over करना है, जिसे शीघ्र किया जाए । मोतिहारी, बेगूसराय एवं औरंगाबाद में जमीन उपलब्ध नहीं होने के कारण शहरी निराश्रितों के लिए आश्रय स्थल (SUH) का निर्माण कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ है । निदेश दिया गया कि जिन नगर निकायों द्वारा जमीन के अभाव में SUH का निर्माण नहीं किया जा रहा है, वे इस मद की राशि शीघ्र विभाग को वापस कर दें ।

(अनुपालन–नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी)

4. **Housing for All** :–

निदेश दिया गया कि इस योजना के अन्तर्गत विभाग को नगर निकायों द्वारा चयनित लाभार्थियों की जो सूची उपलब्ध करायी गयी है, उससे हटकर अब किसी अन्य व्यक्ति का चयन उनके द्वारा नहीं किया जायेगा । यदि जमीन नहीं

उपलब्ध हो पा रहा है तो वैसी इकाइयों को surrender करेंगे और नए प्रस्ताव अलग से भेजेंगे । समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि बहुत से नगर निकायों द्वारा अभी तक लाभार्थियों का Geo-tagging/MIS entry नहीं की गयी है । निदेश दिया गया कि सबसे पहले सभी लाभार्थियों का Geo-tagging/MIS entry का कार्य पूर्ण कर लिया जाए और इसके बाद ही कार्यादेश निर्गत कर प्रथम किस्त की राशि का भुगतान किया जाए । यह भी निदेश दिया गया कि जिसके पास जमीन का LPC उपलब्ध है, उसका आवास निर्माण का कार्य सारी औपचारिकताएँ पूर्ण करते हुए शीघ्र प्रारम्भ कराया जाए ।

सिवान, सासाराम, पूर्णियॉ, पटना, मोतिहारी, खगौल, कटिहार, गोपालगंज, फारबिसगंज, डिहरी–डालमियानगर, दरभंगा, दानापुर, बक्सर, बेतिया एवं बाढ़ में मोबाईल नं0 रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, जिसे शीघ्र करा दिया जाए ।

36 नगर निकायों को छोड़कर अन्य सभी नगर निकायों से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुआ है । इसे शीघ्र भेज दिया जाए अन्यथा भारत सरकार से राशि प्राप्त होने में कठिनाई होगी ।

(अनुपालन–नगर आयुक्त / कार्यपालक पदाधिकारी)

5. **RAY** :–

इस योजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन आवासों को शीघ्र पूरा कराने का निदेश दिया गया । गया में RAY योजना के अन्तर्गत Infra की काफी राशि अव्यवहृत पड़ी हुई है, जिसके सम्बन्ध में नगर आयुक्त, गया नगर निगम द्वारा निदेश की मॉग की गयी है । इस सम्बन्ध में विभाग के स्तर से उन्हें शीघ्र निदेश भेज दिया जाए ।

(अनुपालन–संबंधित नगर आयुक्त / प्रशाखा–4)

6. **IHSDP** :–

सम्बन्धित नगर निकायों को निर्देश दिया गया कि इस योजना के अन्तर्गत जो योजनाएँ प्रारम्भ हैं और कार्य चल रहा है, मात्र उन्हीं योजनाओं को पूर्ण करना है, non-starter योजनाओं को अब किसी भी हालत में प्रारम्भ नहीं करना है । इसी प्रकार IHSDP Infra की राशि यथाशीघ्र व्यय कर इस योजना को बन्द करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए ।

IHSDP के तहत अगर राशि के अभाव में शौचालय नहीं बन पाया है तो SBM की राशि से शौचालय का निर्माण कराया जा सकता है ।

(अनुपालन–संबंधित नगर आयुक्त / कार्यपालक पदाधिकारी)

7. **डी0सी0 बिल** :–

नगर निकायों के डी0सी0 बिल महालेखाकार कार्यालय में समायोजन हेतु लम्बित हैं । समीक्षा के क्रम में कई नगर निकायों द्वारा यह बताया गया कि डी0सी0 बिल उनके द्वारा महालेखाकार को भेज दिया गया है । उन्हें निर्देश दिया गया कि नगर निकाय से किन्हीं पदाधिकारी को महालेखाकार कार्यालय में प्रतिनियुक्त कर लम्बित डी0सी0 बिलों के समायोजन की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए ।

(अनुपालन–नगर आयुक्त / कार्यपालक पदाधिकारी)

8. **सी0ए0जी0 रिपोर्ट का अनुपालन** :–

बैठक में नगर निकायों को यह जानकारी दी गयी कि सी0ए0जी0 रिपोर्ट के अनुपालन की समीक्षा हेतु दिनांक 12 एवं 19.04.2017 को सभी नगर पंचायत, 21.04.2017 को सभी नगर परिषद तथा 26.02.2017 को सभी नगर निगमों की बैठक रखी गयी है । अतः सभी नगर निकाय इसकी पूरी तैयारी कर लें तथा साक्ष्य के साथ अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे । इन तिथियों को ए0सी0/ डी0सी0 से सम्बन्धित प्रतिवेदन भी महालेखाकार को भेजते हुए उसकी प्रति विभाग को उपलब्ध करायेंगे ताकि विभाग के स्तर से भी कार्रवाई की जा सके ।

(अनुपालन–नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी)

9. **बजट** :–

कुछ नगर निकायों से प्राप्त बजट में त्रुटियॉ पायी गयी हैं, जिसके निराकरण हेतु उन्हें वापस लौटाया गया है । सम्बन्धित नगर निकाय शीघ्र त्रुटि का निराकरण करते हुए विभाग को उपलब्ध करायें ।

फारबिसगंज नगर परिषद से बजट प्राप्त नहीं हुआ है । कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि बोर्ड की बैठक नहीं होने के कारण बजट नहीं भेजा जा सका है । इन्हें निदेश दिया गया कि अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष से सम्पर्क कर बोर्ड की बैठक में बजट पास कराकर शीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।

(अनुपालन–सम्बन्धित कार्यपालक पदाधिकारी)

10. नगर निकायों से PFMS Account खोलने के लिए विभागीय पत्रांक 2597 दिनांक 24.11.2016 से प्रपत्र भेजकर सूचनाएँ मांगी गयी थी, परन्तु अभी भी अररिया, औरंगाबाद, बेनीपुर, बेतिया, डिहरी–डालमियानगर, डुमरॉव, फारबिसगंज, जमुई, जहानाबाद, भभुआ, लखीसराय, मधुबनी, मोतिहारी एवं रक्सौल से वांछित सूचनाएँ अप्राप्त हैं । इन्हें शीघ्र वांछित सूचनाएँ उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया, अन्यथा भारत सरकार की योजनाओं से सम्बन्धित राशि इन्हें नहीं मिल सकेंगी ।

(अनुपालन–सम्बन्धित कार्यपालक पदाधिकारी)

11. बैठक में बार–बार निदेश देने के बाद भी नगर निकायों में 13वें वित्त की राशि अव्यवहृत शेष पड़ी हुई है । निर्देश दिया गया कि इसका व्यय शीघ्र कर UC के साथ सूचना भेज दें ।

(अनुपालन–नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी)

12. निदेश दिया गया कि वर्ष 2016–17 में जिस राशि की निकासी नहीं हुई है, उसके सम्बन्ध में अनिकासी प्रमाण पत्र के साथ प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध करायें ताकि वित्त विभाग से समन्वय कर उस राशि के आवंटन की कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके ।

(अनुपालन–नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी)

13. नगर आयुक्त, आरा नगर निगम द्वारा बताया गया कि चन्दवा में बिहार राज्य आवास बोर्ड का फ्लैट है जिसके आवंटी होल्डिंग टैक्स नहीं देते हैं और सफाई के लिए बाध्य करते हैं । इन्हें निदेश दिया गया कि बिहार नगरपालिका

अधिनियम, 2007 की संगत धाराओं के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग कर होल्डिंग टैक्स वसूली की कार्रवाई सुनिश्चित करें ।

(अनुपालन–नगर आयुक्त, आरा नगर निगम)

14. कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, मोतिहारी द्वारा बताया गया कि PHED द्वारा जलापूर्ति के लिए टावर निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध नहीं करायी जा रही है । इन्हें जिला पदाधिकारी को इस सम्बन्ध में पत्र लिखकर भूमि उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध करने का निदेश दिया गया ।

(अनुपालन–कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, मोतिहारी)

15. अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, कटिहार द्वारा बताया गया कि कटिहार में जल निकासी के लिए बुडको को आदेश दिया गया था । इस हेतु बुडको से सम्पर्क किया गया, परन्तु बुडको द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है । निदेश दिया गया कि नगर निगम स्वयं इस कार्य को करना चाहे तो कर सकता है और विभाग के स्तर से उन्हें पूर्ण सहयोग किया जायेगा ।

(अनुपालन–नगर आयुक्त, कटिहार नगर निगम)

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी ।

13/4/2017

(चैतन्य प्रसाद)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक 2712 /न0वि0एवंआ0वि0 पटना, दिनांक : 13/4/17

प्रतिलिपि : माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।

13/4/2017

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 2712 /न0वि0एवंआ0वि0 पटना, दिनांक : 13/4/17

प्रतिलिपि : नगर आयुक्त, सभी नगर निगम/कार्यपालक पदाधिकारी, सभी नगर परिषद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

13/4/2017

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 2712 /न0वि0एवंआ0वि0 पटना, दिनांक : 13/4/17

प्रतिलिपि : सभी विभागीय पदाधिकारी/अभियंत्रण कोषांग/आई0टी0 मैनेजर, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

13/4/2017

प्रधान सचिव